रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 RECD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 1994/माघ 25, 1915

No. 72] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 1994/MAGHA 25, 1915

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

प्रमुख समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय

अधिसूचना

सं. 7/93-सीमा-शुल्क एन.टी.

बम्बई, 12 नवम्बर, 1993

का.आ. 162(अ)—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 4-10-1990 की अधिसूचना सं. 64/90-एन.टी. सीमा शुल्क द्वारा तथा दिनांक 18-6-1990 की अधिसूचना सं. 34/90-सीमा-शुल्क एन.टी. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा-9

के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य के थाने जिला, पालघर तालुका के गांव अल्याली को, शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई (100% ई.ओ.यू.) स्थापित करने के अभिप्राय हेतु भाण्डागारण स्थल घोषित करता हूं।

[फा.सं. 8/40-15/पी सी यू/बी सी एक्स/93]

वी. के. गुप्ता प्रमुख समाहर्ता,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

OFFICE OF THE PRINCIPAL COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION

No. 7/93-Customs (NT)

Bombay, the 12th November, 1993

S.O. 162(E).—In exercise of the powers conferred by the Notification No. 34/90 Customs (NT) dated 18-06-1990 as amended by Notification No. 64/90 Customs (NT) dated 04-10-1990 of the Government of India, Ministry of Finance Department of Revenue, New Delhi, Village Allyali, Tal. Palghar, Dist. Thane in the state of Maharashtra, is hereby declared to be a Warehousing Stations under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for the purpose of setting up hundred per cent export oriented units (100% E.O.U's).

[F. No. VIII/40-15/PCU/BCX/93]

V. K. GUPTA, Principal Collector

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994